काम पर रखे गए व्यक्तियों के साधारण कर्त्तव्यों की जांच सूची

नीचे दी गई जांच सूची, काम पर रखे गए व्यक्तियो को उनके साधारण कर्त्तव्य प्रावधानों के पालन में मददगार साबित हो सकती है । जब यह याद रखना चाहिए कि यह जांच सूची किसी भी रुप में परिपूर्ण नहीं और हर स्थिति को शामिल नहीं कर सकती । इसको कानूनी शर्तों की व्याख्या के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए ।

- क्या आपको अपनी कम्पनी की सुरक्षा नीतियो और सुरक्षा प्रबन्ध के बारे में पता है ?
- क्या आपने प्लांट की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कार्यवाहियों में भाग किया है ?

- क्या आप ने अपने मालिको या दूसरे व्यक्तियो का, सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून की शर्तों की देख रेख में सहयोग दिया है ?

- क्या आपने नए कर्मचारियो के समक्ष अच्छे उदाहरण स्थापित किए है और अपने सह-कर्मचारियो को सुरक्षित कार्य पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है ?

- क्या आपने अपने काम की जगह पर आने वाली रुकावटो को ढूँढने का प्रथम कार्य भार उठाया है ?
- क्या आपने अपने निरीक्षक को किसी असुरक्षित हालात की जानकारी दी है और इसकी सुधार के लिए कोई सुझाव दिया है ?

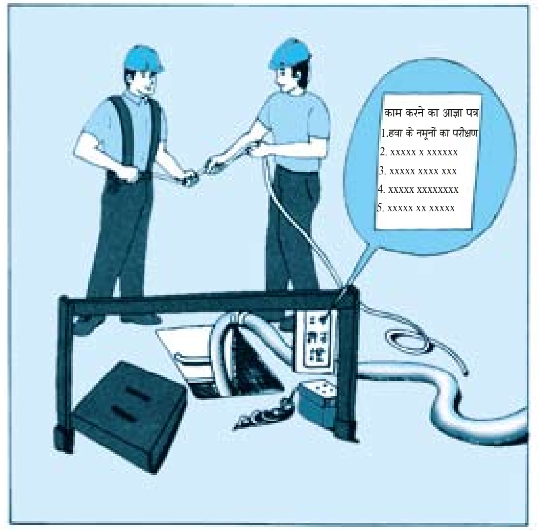

- क्या आपने अपनी कम्पनी की सुरक्षा प्रणाली (जैसे 'काम करने का आज्ञापत्र' प्रणाली) और सुरक्षा नियमों का पालन किया है ?

- सुरक्षा निरीक्षक के तौर पर क्या आप को काम के साथ जुड़ी हुई बाधाओ को जानते है और सुरक्षित कार्य पद्धति को अपनाने में कर्मचारियों का निरीक्षण करते है ?

Published by the Labour Department
Printed by the Government Logistics Department

अतिरिक्त जानकारी श्रम विभाग की व्यवसायक सुरक्षा और स्वास्थ्य शाखा से प्राप्त की जा सकती है। अगर जरुरी हो तो कृपया हमसे सम्पर्क करें ।

पूछ-ताछ

टैलीफोन : 2559 2297
फैक्स : 2915 1410
ई-मेल : enquiry@labour.gov.hk

श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओ की सूचना और मुख्य श्रम कानूनों को भी हमारी वेबसाईट http://www.labour.gov.hk पर देखा जा सकता है ।

व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सभा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में सूचना 2739 9000 हॉट लाईन पर प्राप्त की जा सकती है ।

शिकायतें

अगर किसी भी असुरक्षित काम की जगह के बारे में, या कार्यो के बारे में आपके पास कोई शिकायत है तो कृपया श्रम विभाग की व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य हॉट-लाईन पर 2542 2172 सम्पर्क करें । सभी शिकायतें को गोपनीय तौर पर लिया जाएगा ।

Hindi version
1/2010-1-L15h

औद्योगिक सुरक्षा

(काम पर रखे गऐ व्यक्तियों के सामान्य कर्त्तव्य)

व्यवसायक सुरक्षा और स्वास्थ्य शाखा श्रम विभाग
व्यवसायक सुरक्षा और स्वास्थ्य सभा

भूमिका :

काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रोत्साहन के लिए मालिकों और काम करने वाले व्यक्तियों के सहयोग की जरुरत है । कारखाना और औद्योगिक संस्थान (संशोधन) कानून 1989, मालिको के ऊपर और काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर, काम के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए आम कर्त्तव्यों को लागू करता है । यह मार्गदर्शक पुस्तिका आम कर्त्तव्यै, प्रावधानों को समझने में, काम पर लगे हुए व्यक्तियो की मदद के लिए बनाई गई है ।

आम कर्त्तव्य प्रावधान, व्यापक प्रावधान हैं जिनका विनियोग विस्तृत है । मौजूदा दूसरे सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून के विपरीत, यह जो कि सुरक्षा और स्वास्थ्य की जरुरत के तकनीकी विस्तार को नियमबद्ध करता है, साधारण कर्त्तव्य प्रावधान केवल मालिकों और काम करने वालों को काम पर अपनी और दूसरे व्यक्तियों की सुरक्षा और सेहत के साथ जुड़े हुए उनके कर्त्तव्यों के बारे में साधारण रुप में बताता है ।

काम पर रखे गए व्यक्तियों के साधारण कर्त्तव्य :

औद्योगिक संस्थान मे काम पर रखे गए व्यक्तियो का कर्त्तव्य है :-

क) काम पर अपनी और दूसरे काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को यकीनी बनाने के लिए उचित और सावधानी वाले उपायों को लागू करना, जो कि अपने किसी कार्य या कार्य में की गई भूल की वजह से प्रभावित हो सकते है । उनको ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिसके उनकी या दूसरे की सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता हो और उनको काम पर पैदा होने वाली मुश्कलों का पता करने के लिए और सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों का पालन करने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए ।

ख) अपने मालिको और किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग करना चाहिए, जो कि उनको, काम पर लगे हुए सभी व्यक्तियो की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए उनके कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करने के योग्य बनाने के लिए जरुरी हो ।

अपराध और जुर्माना

क) काम पर रखा गया व्यक्ति जो कि साधारण कर्त्तव्य के प्रावधानो का उल्लंघन करता है वह अपराध करता है और उसके दोषी पाए जाने पर 25000 हाँगकाँग डालर तक का जुर्माना किया जा सकता है ।

ख) काम पर रखा गया व्यक्ति जो जान बूझ कर और बिना किसी उचित कारण के, कुछ ऐसा कार्य करता है जो उसको या किसी और व्यक्ति को खतरे में डालता हो, तो वह अपराध कर रहा है और उस व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर 50000 हाँगकाँग डालर तक का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है ।

काम पर रखे गए व्यक्वियों के साधारण कर्त्तव्यों की जांच सूची

नीचे दी गई जांच सूची, काम पर रखे गए व्यक्तियो को उनके साधारण कर्त्तव्य प्रावधानों के पालन के लिए मददगार साबित हो सकती है । यह याद रखना चाहिए कि यह जांच सूची किसी भी रुप में परिपूर्ण नहीं और हर स्थिति को शामिल नहीं कर सकती । इसको कानूनी शर्तों की व्याख्या के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए ।

- क्या अपनी और दूसरे व्यक्तियों, जो कि आपके कार्य या भूल की वजह से प्रभावित हो सकते हो, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखा गया है

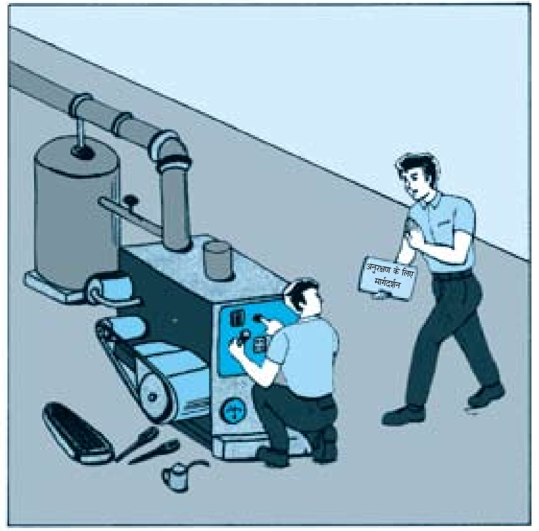

- क्या मरम्मत, रख रखाव और साफ सफाई के कार्यों को करते समय सुरक्षा के उचित कदम उठाए गऐ है ।

- क्या आपने ऐसे कार्यो को सुरक्षित रुप में करने का उचित प्रशिक्षण लिया है ?
  क्या आपके पास सम्बन्धित सुरक्षा सूचना है ?

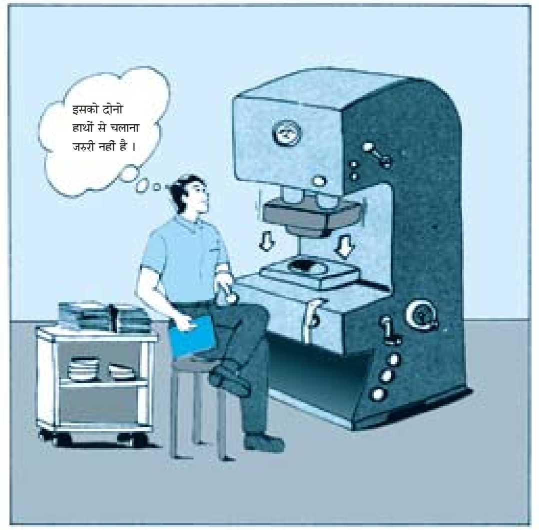

- क्या आपने सुरक्षा यन्त्रों अथवा निगरानों के साथ कोई छेड़ छाड़ की है ?

- क्या आप विकसित यन्त्रो को इस्तेमाल करेंगे या काम को करने का अनुचित तरीका अपनाऐंगे, जिसको बेवजह जोखिम उठाना पड़े ?

- क्या आपके काम के कपड़े आपके कार्य के लिए उचित है ?
- क्या आपको पता है कि निजी सुरक्षा यन्त्रों का इस्तेमाल और रख-रखाव कैसे करना है ?